प्रेस विज्ञप्ति
21.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने राजीव कुमार ऋषि, उ.पु.अ., के.अं.ब्यू. के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 21/02/2025 को 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं । कुर्क की गई संपत्तियां राजीव कुमार ऋषि और उनकी पत्नी के नाम पर नई दिल्ली और गाजियाबाद, उप्र में स्थित दो आवासीय संपत्तियों के रूप में हैं।

ईडी ने सीबीआई, पीएस एसी-II, नई दिल्ली द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 यथासंशोधित) की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत राजीव कुमार ऋषि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि राजीव कुमार ऋषि ने जांच अवधि यानी 09.11.2012 से 14.01.2021 के दौरान अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर 1.44 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, जो उक्त अवधि के दौरान उनकी वैध आय से 113.36% अधिक है।

ईडी की जांच से पता चला है कि राजीव कुमार ऋषि ने अपनी पत्नी सहित अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध रूप से अर्जित धन को विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में एकीकृत करने के लिए किया। यह पता चला है कि राजीव कुमार ऋषि द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित अपराध के आगम (पीओसी) को उनके पास मौजूद संपत्तियों में छिपाया गया है और जांच अवधि के दौरान व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय के लिए भी खर्च किया गया है।

अतः 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की उपरोक्त संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के प्रावधानों के तहत अपराध के आगम (पीओसी) के समान मूल्य के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।